

19/7/19

पत्रावली आज येश हुई

लोक सूचना अधिकारी एवं उपर्युक्त अधिकारी रामपुर द्वारा कपी के संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करा था जंच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की है। उपर्युक्त अधिकारी रामपुर के संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु फा लिख जाफा पत्रावली दिनांक 26/7/19 को येश हो।

जिला कलेक्टर, बाली

26/7/19

अपीलेंट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 190 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के इस न्यायालय के प्रत्युत का निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी उपर्युक्त अधिकारी रामपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करवा जते से उहे शिष्ट सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जावे।

इस न्यायालय के जरिए फाफे 594-95 दि 6/5/19 के लिखा गया तथा SDO रामपुर को 797 दि 7-10/19 के लागू फा लिखा गया उनके कार्य सूचना तह रामपुर को प्रेषित करने हेतु स्थानांतरित कर स्थिति स्थिति तथा तह रामपुर के जरिए फाफे सू० नं०/2019/201 दि० 24-6-2019 के इस न्यायालय के सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा दि उनके - सू० नं०/2019/191 दि 12-6-2019 के द्वारा SDO रामपुर को लिखा है। उक्त फा की प्रती प्रति भी इस न्यायालय को प्रेषित की है तथा SDO रामपुर द्वारा जरिए फाफे - 1880 दि 24-6-19 के द्वारा न्यायालय को सू० नं० को स्थिति स्थिति किया गया। वर्तमान में इस अपील के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ नहीं होने से यह अपील वापस की जाती है। पत्रावली शुभा फैसला की जाफा इस न्यायालय से गवर्नर से कमा है।

जिला कलेक्टर, बाली